

प्रारंभिक परीक्षा

एस्टेटिन-188

संदर्भ

फ़िनलैंड में ज्यवास्किला विश्वविद्यालय ने हाल ही में एस्टेटिन के सबसे भारी ज्ञात प्रोटॉन उत्सर्जक समस्थानिक, ^{188}At का पता लगाया है और सफलतापूर्वक उसका अर्ध-जीवन मापा है।

एस्टेटिन(Astatine) के बारे में -

● सामान्य गुण:

- प्रतीक एवं परमाणु क्रमांक: At, परमाणु क्रमांक 85
- श्रेणी: हैलोजन समूह (समूह 17)
- रूप: कमरे के तापमान और दबाव पर संभवतः एक गहरे रंग का ठोस पदार्थ
- रेडियोधर्मिता: अत्यधिक रेडियोधर्मी; आसपास की हवा को आयनित करने के कारण नीली चमक उत्सर्जित करता है
- समस्थानिक: 41 ज्ञात रेडियोधर्मी समस्थानिक, जिनकी द्रव्यमान संख्या 188 और 190 से लेकर 229 तक है

Astatine (At) Element

Atomic Number	85	[Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵	Electronic Configuration
	At		Symbol
	Astatine		Name
Atomic Weight	210		

● रासायनिक एवं भौतिक गुण:

- रासायनिक व्यवहार: आयोडीन जैसा दिखता है लेकिन अधिक धात्विक विशेषताएँ प्रदर्शित करता है
- यौगिक: आयोडीन के समान लेकिन अधिक धात्विक गुणों वाले यौगिक बनाता है
- विद्युत ऋणात्मकता: अनुमानित 2.2 और 2.5 के बीच
- घनत्व: अनुमानित 6.3 ग्राम/सेमी³
- गलनांक: अनुमानित 302°C और 337°C के बीच
- क्वथनांक: अनुमानित 337°C और 352°C के बीच

● उपयोग -

- चिकित्सा अनुप्रयोग: लक्षित अल्फा-कण कैंसर चिकित्सा में उपयोग किया जाता है
 - एस्टेटिन मानव थायरॉयड में स्रावित होता है; इसलिए, इसका उपयोग थायरॉयड रोगों के उपचार में किया जाता है।
- अनुसंधान: रेडियोफार्मास्युटिकल्स में संभावित उपयोग के लिए अध्ययन किया गया
- औद्योगिक अनुप्रयोग: इसकी दुर्लभता और रेडियोधर्मिता के कारण सीमित

तथ्य: किसी भी समय पृथ्वी की सतह पर एस्टेटिन की कुल मात्रा 30 ग्राम से कम होती है, तथा कृत्रिम रूप से केवल कुछ माइक्रोग्राम ही उत्पादित किया जाता है।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

संदर्भ

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) केवल एक वर्ष के भीतर चिकित्सा व्यय में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत करके ग्रामीण बिहार को सशक्त बना रही है।

इसके बारे में -

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है।
- लाभार्थी परिवारों का चयन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) से वंचितता और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
- यह योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
- कवरेज पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध है।
- लाभार्थियों को सेवा के स्थान (अस्पताल) पर स्वास्थ्य सेवाओं तक कैशलेस पहुँच प्राप्त होती है।
- पात्रता के लिए परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, जिससे लाभार्थी भारत में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का कार्यान्वयन और देखरेख राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की जाती है।



स्रोत: [PIB](#)

एजियाओ(Ejiao)

संदर्भ

चीन में एजियाओ की बढ़ती मांग के कारण पाकिस्तान में गधे की कीमतें बढ़ गई हैं।

एजियाओ क्या है?

- एजियाओ (उच्चारण: उह-जी-ओ), जिसे 'कोला कोरी असिनी' या 'डंकी-हाइड ग्लू' भी कहा जाता है, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक प्रमुख घटक है।
- एजियाओ एक जिलेटिनस पदार्थ है जिसे गधे की खाल को उबालकर कोलेजन निकाला जाता है, जिसे बाद में टॉनिक में संसाधित किया जाता है। इसका सेवन प्रायः निम्नलिखित रूप में किया जाता है:
 - पाउडर
 - गोलियाँ
 - सिरप
 - कैंडी जैसे टॉनिक
 - अखरोट और तिल जैसे अन्य जड़ी बूटियों या खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर

पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उपयोग -

- रक्त को पोषण देना - विशेष रूप से एनीमिया या मासिक धर्म संबंधी समस्याओं वाली महिलाओं के लिए।
- ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ावा देना।
- त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना।
- सूखी खांसी और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं का इलाज करना।
- प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में सहायता।

एजियाओ के कारण गधे की मांग -

- मांग इतनी अधिक है कि चीन में गधों की आबादी में 76% की गिरावट आई है।
- चीन की उच्च मांग के कारण भारत से चीन में गधों की अवैध तस्करी भी हो रही है।
- 2022 के अनुमानों के अनुसार अब इनकी संख्या <1 लाख से कम होगी।
- एजियाओ उद्योग को अब नवीनतम मांग के आंकड़ों को पूरा करने के लिए कम से कम 5.9 मिलियन गधों की खाल की आवश्यकता है।
- यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है, तो 2027 तक इसमें 200 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

CONSISTENT DROP

Donkey population in India has dropped by nearly 90 per cent in the past three decades



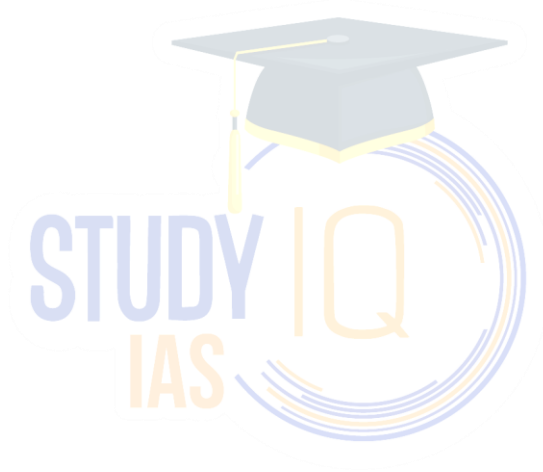
एजियाओ उद्योग का भविष्य?

वैश्विक गधे की खाल के व्यापार की कूरता को समाप्त करने के लिए, विशेषज्ञ सेलुलर कृषि का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित कोलेजन के साथ असली गधे कोलेजन को बदलने की वकालत करते हैं।

सेलुलर कृषि (Cellular Agriculture)

सेलुलर कृषि एक ऐसी तकनीक है जिसमें मांस, दूध या चमड़े जैसे उत्पाद जानवरों से लिए बिना प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। इसमें जानवरों की कोशिकाओं को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में संवर्धित किया जाता है। इस प्रक्रिया से हमें वही उत्पाद मिलते हैं, लेकिन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचता।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)



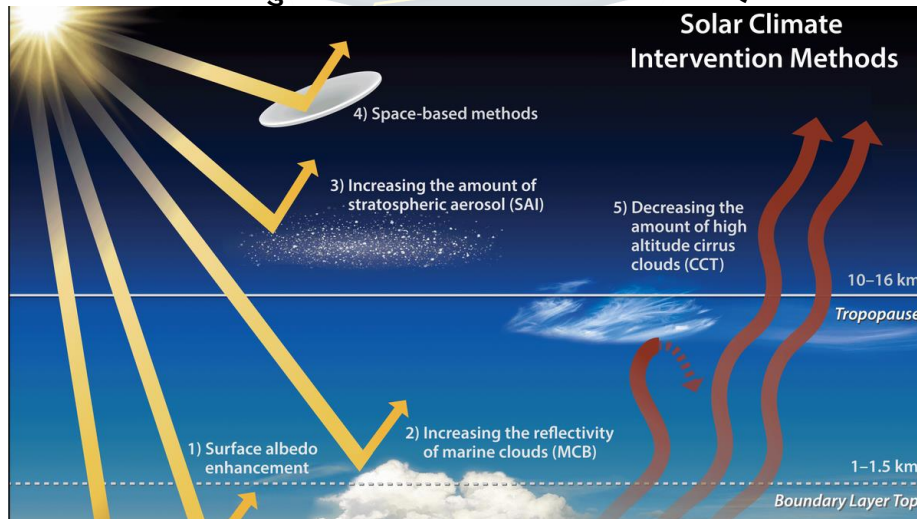
स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI)

संदर्भ

एक नए अध्ययन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन(SAI) के विवादास्पद विचार को सामने रखा है - जो कि ऊपरी वायुमंडल में परावर्तक कणों का छिड़काव करके पृथ्वी को ठंडा करने की एक विधि है।

स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI) के बारे में -

- SAI का उद्देश्य ऊपरी वायुमंडल में सूक्ष्म परावर्तक कणों को जोड़कर ग्रह को ठंडा करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है।
- यह विधि ज्वालामुखी विस्फोटों पर आधारित है, जो वायु में एरोसोल छोड़ कर शीतलन प्रभाव डालते हैं।
- ऊँचाई के अनुसार प्रभावशीलता:
 - अधिक ऊँचाई पर इंजेक्शन अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि कण वायुमंडल में अधिक समय तक रहते हैं।
 - कम ऊँचाई पर इंजेक्शन तकनीकी रूप से आसान है, लेकिन कम प्रभावी है, क्योंकि कण बारिश से बह सकते हैं या बादलों में फँस सकते हैं।
- 13 किलोमीटर की ऊँचाई पर प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड डालने से ग्रह 0.6°C तक ठंडा हो सकता है।
- यह मात्रा 1991 में माउंट पिनातुबो विस्फोट से निकली मात्रा के समान है।

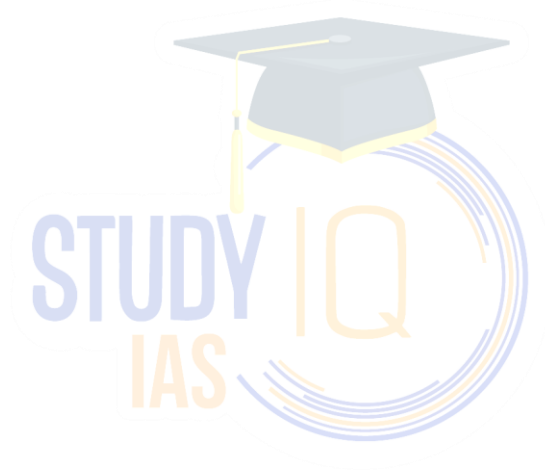


एरोसोल के बारे में मुख्य तथ्य -

- परिभाषा: एरोसोल वायु या गैस में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण होते हैं।
- स्रोत:
 - प्राकृतिक: कोहरा, ज्वालामुखी गैसों, समुद्री स्प्रे, धूल।
 - कृत्रिम: जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन।
- प्रकार:
 - प्राथमिक एरोसोल: सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित (जैसे, धूल, कालिख)।
 - द्वितीयक एरोसोल: पूर्ववर्ती गैसों (जैसे, सल्फर डाइऑक्साइड) से वायुमंडल में निर्मित होते हैं।
- संरचना: विभिन्न अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से बना है।
- आकार सीमा:
 - वास्तविक एरोसोल कणों का व्यास कुछ मिलीमीटर से लेकर लगभग 1 माइक्रोमीटर (10^{-4} सेमी) तक होता है।
 - ऐटकेन नाभिक: 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे कण।

- **दृश्य रूप:** इसमें धुआं, धुंध, कोहरा और धूल के गुबार शामिल हैं जो आमतौर पर प्रदूषित या धूल भरे वातावरण में देखे जाते हैं।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

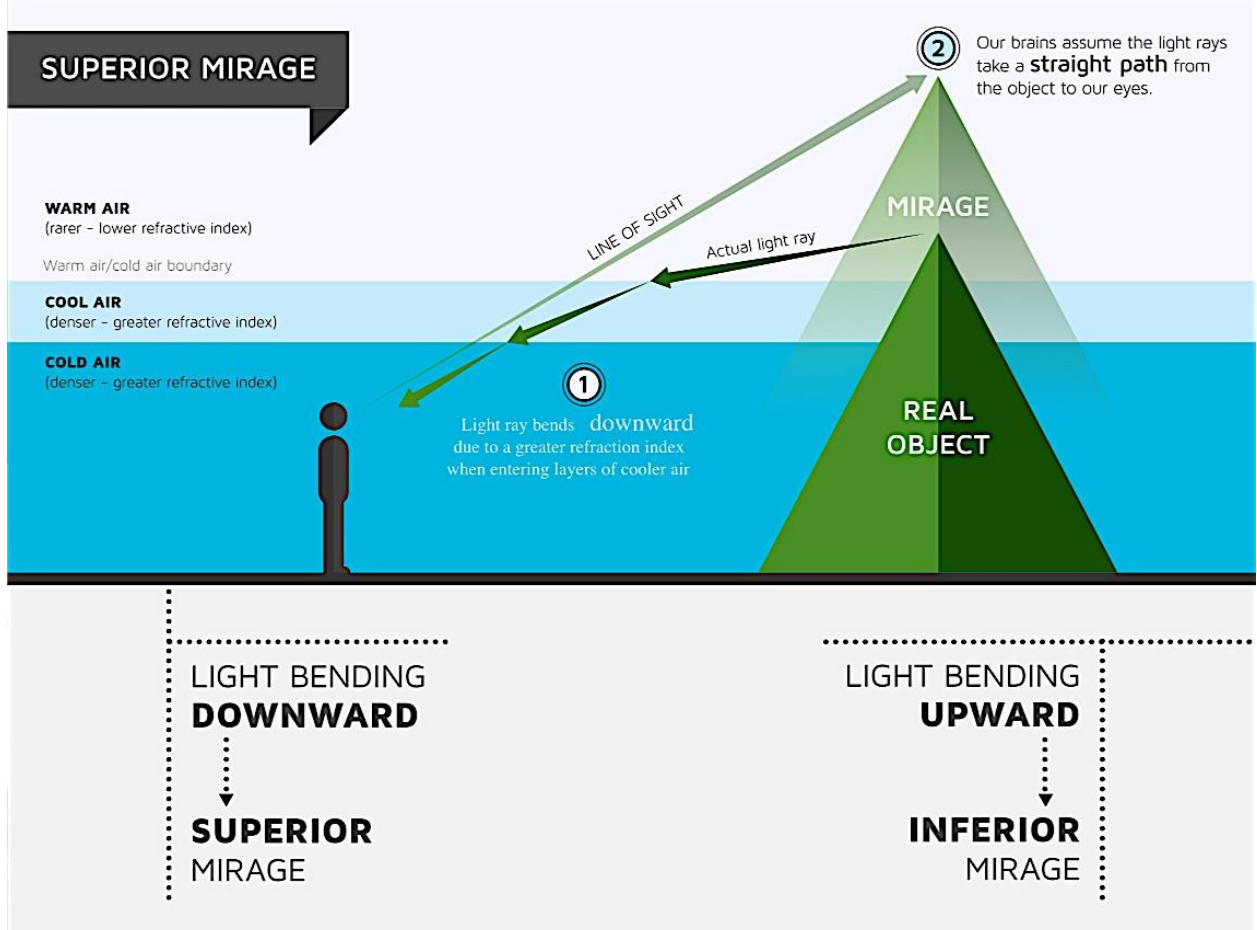


मृगतृष्णा(Mirage)

संदर्भ

भीषण गर्मी और उमस के कारण नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मृगतृष्णा दिखाई दी।

मृगतृष्णा क्या है?



- मृगतृष्णा एक प्रकाशीय भ्रम है जो प्रकाश किरणों के अपवर्तन (झुकने) के कारण होता है जब वे विभिन्न तापमानों पर हवा की परतों से गुजरती हैं।
- यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक छवि है जो अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित दिखाई देती है।

मृगतृष्णा के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत -

- **अपवर्तन:** प्रकाश गर्म और ठंडी हवा में अलग-अलग गति से यात्रा करता है। जब यह अलग-अलग तापमान वाली हवा की परतों से गुजरता है, तो यह मुड़ जाता है।
- गर्म दिनों में, ज़मीन अपने ऊपर की हवा को गर्म कर देती है, जिससे वह ऊपर की ठंडी हवा की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है।
- इससे तापमान प्रवणता उत्पन्न होती है, जिसे वैज्ञानिक **ऊष्मीय व्युत्क्रमण(thermal inversion)** कहते हैं।

गर्म सड़कों पर यह कैसे होता है (निम्न मृगतृष्णा)

- सूरज डामर सड़क को गर्म करता है, जो बदले में उसके ठीक ऊपर की हवा को गर्म करता है।

- आसमान से आने वाली रोशनी गर्म और ठंडी हवा के इस ढाल से गुजरते हुए ऊपर की ओर झुक जाती है।
- मानवीय आँखों को, यह मुड़ी हुई रोशनी ज़मीन से आती हुई प्रतीत होती है।
- मस्तिष्क इसे एक प्रतिबिंब के रूप में व्याख्या करता है - जिससे सड़क गीली दिखती है, जैसे कि आगे पानी है।
- इसे निम्न मृगतृष्णा कहा जाता है, जो सड़कों या रेगिस्तानों पर सबसे आम प्रकार की मृगतृष्णा देखी जाती है।

मृगतृष्णा के प्रकार

प्रकार	विवरण	उदाहरण
निम्न मृगतृष्णा (Inferior Mirage)	छवि वास्तविक वस्तु के नीचे दिखाई देती है	सड़क पर "पानी"
उच्च मृगतृष्णा (Superior mirage)	नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा के कारण छवि वास्तविक वस्तु के ऊपर दिखाई देती है (तापमान व्युत्क्रमण)	आकाश में तैरते जहाज़
फाटा मोगाना (Fata Morgana)	ध्रुवीय क्षेत्रों या महासागरों में देखी जाने वाली एक जटिल और विकृत मृगतृष्णा; छवियों को तोड़ सकती है या उन्हें नाटकीय रूप से विकृत कर सकती है	जहाज के महल, हवा में दिखाई देने वाली चट्टानें

क्या मृगतृष्णा वास्तविक है?

- भौतिक दृष्टि से यह वास्तविक नहीं है - आप इसे छू नहीं सकते, न ही इसके पास जा सकते हैं।
- यह प्रकाश के प्राकृतिक व्यवहार से उत्पन्न एक दृश्य भ्रम है।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

जनगणना

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगली जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी और जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 होगी।

जनगणना के बारे में -

- **भारत में जनगणना का इतिहास**
 - **प्राचीन संदर्भ:** कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल के आइन-ए-अकबरी में जनसंख्या गणना का उल्लेख मिलता है।
 - **आधुनिक जनगणना की शुरुआत (ब्रिटिश काल):** पहली समकालिक जनगणना (देश भर में एक साथ एकत्रित आंकड़े) 1881 में भारत के पहले जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के अधीन आयोजित की गई थी।
 - 2011 तक बिना किसी रुकावट के हर 10 साल में जनगणना आयोजित की गई।
 - **स्वतंत्रता के बाद:** जनगणना हर दशक में जारी रही; अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी।
 - हिंदुओं के लिए जाति गणना आखिरी बार 1931 में की गई थी; स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाओं में केवल एससी/एसटी आंकड़े ही एकत्र किए गए।
- **जनगणना कैसे की जाती है?**
 - **कानूनी ढांचा:** जनगणना अधिनियम, 1948 (एक संघ सूची विषय) द्वारा शासित।
 - केन्द्र सरकार इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करती है।
 - **परिचालन संरचना:** प्रत्येक राज्य में जनगणना संचालन निदेशक नियुक्त किए जाते हैं।
 - राज्य सरकारें स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से स्टाफ (ज्यादातर स्कूल शिक्षक) उपलब्ध कराती हैं।
 - **संचालन के दो चरण (1971 से):**
 - **मकान सूचीकरण चरण (5-6 महीने):** आवास के बारे में डेटा एकत्र किया जाता है - प्रकार, सुविधाएं, संपत्ति, आदि (2011 में 35 प्रश्न)
 - **जनसंख्या गणना चरण (आमतौर पर फरवरी में):** जनसांख्यिकीय विवरण - नाम, आयु, लिंग, धर्म, मातृभाषा, साक्षरता, व्यवसाय, जाति (एससी/एसटी), आदि को एकत्रित करता है। (संदर्भ तिथि आमतौर पर जनगणना वर्ष की 1 मार्च होती है)
- **डेटा रिलीज:** अनंतिम डेटा एक महीने के भीतर जारी किया जाता है।
 - अंतिम विस्तृत रिपोर्ट 1-2 वर्ष बाद जारी की जाती है (उदाहरण के लिए, अप्रैल 2013 में 2011 की जनगणना रिपोर्ट)।

आगामी जनगणना का महत्व -

- **जाति गणना:** स्वतंत्रता के बाद पहली बार, सभी हिंदुओं के जाति संबंधी आंकड़े शामिल किए जा सकते हैं, जिससे लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और सामाजिक मांगों पर ध्यान दिया जा सकेगा।
- **परिसीमन आधार:** 2026 में परिसीमन समाप्त होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा।
- **महिला आरक्षण:** यह डेटा विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगा।

स्रोत: [The Hindu](#)

समाचार में स्थान

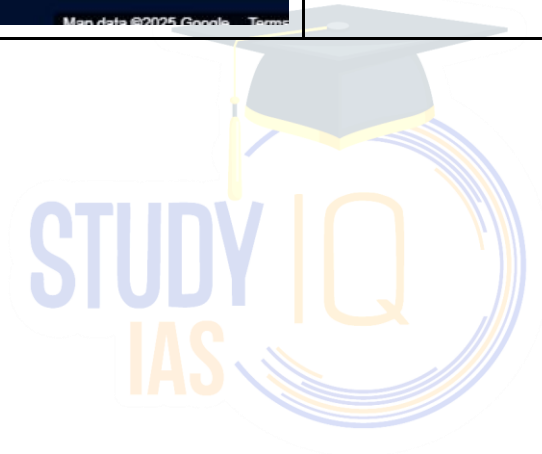
थिटू द्वीप



खबर? चीनी जहाज फिलीपींस के कब्जे वाले थिटू द्वीप के पास फंस गया।

थिटू द्वीप के बारे में -

- इसे पाग-आसा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
- स्प्रेटली द्वीपसमूह का हिस्सा।



संपादकीय सारांश

भारतीय न्यायालय किस प्रकार अनुच्छेद-19(1)(a) को कमजोर कर रहे हैं

संदर्भ

अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भारत की संवैधानिक गारंटी का क्षरण हो रहा है, क्योंकि अदालतें अभिव्यक्ति की रक्षा करने के बजाय उसका प्रबंधन करने में लगी हुई हैं, तथा संवैधानिक स्वतंत्रता पर भावनाओं और शिष्टाचार को प्राथमिकता दे रही हैं।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ -

- **न्यायपालिका का सिद्धांत से भावना की ओर बदलाव:** न्यायालय संवैधानिक सीमाओं के बजाय भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर भाषण का मूल्यांकन कर रहे हैं।
 - **उदाहरण:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, और कहा कि "भावनाओं को बहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"
- **आक्रोश और लोकलुभावन भावनाओं का सत्यापन:** न्यायालय अक्सर वैध भाषण का बचाव करने के बजाय क्षमा मांगने की सलाह देते हैं, जिससे भीड़ और सिलसिलेवार मुकदमेबाजों का हौसला बढ़ता है।
 - **उदाहरण:** कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कमल हासन को कन्नड़-तमिल भाषाई संबंधों पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की सलाह दी।
- **कानूनी उत्पीड़न के माध्यम से भयावह प्रभाव:** एफआईआर और न्यायिक जांच का उपयोग अभिव्यक्ति को दंडित करने के लिए किया जा रहा है, यहां तक कि दोषसिद्धि के बिना भी।
 - **उदाहरण:** रणवीर इलाहाबादिया को पॉडकास्ट में स्पष्ट भाषा का उपयोग करने के लिए न्यायिक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा; एक प्रोफेसर को सैन्य दृष्टिकोण पर सवाल उठाने वाले ट्वीट के लिए जांच का सामना करना पड़ा।
- **मामूली अपराध के लिए कठोर कानूनों का दुरुपयोग:** भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 353 (2) जैसे व्यापक कानूनों का इस्तेमाल व्यंग्य या आलोचना के लिए किया जाता है।
 - **उदाहरण:** प्रधानमंत्री को "कायर" कहने वाले एक व्यक्ति पर संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।

- **धारा 353(2) बीएनएस:** यह धारा सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वाली गलत सूचना और अभद्र भाषा को लक्षित करती है।
- **धारा 152 बीएनएस:** यह प्रावधान औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून (आईपीसी 124 ए) का स्थान लेता है और भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को आपराधिक बनाता है।

- **राजनीतिक असहमति को दबाना:** राज्य संस्थाओं की आलोचना करने पर विपक्षी नेताओं को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
 - **उदाहरण:** सेना पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को मानहानि के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया गया; अदालत ने आलोचना को मानहानि के बराबर बताया।
- **दंड के रूप में प्रक्रिया:** न्यायालय प्राथमिकी को समय से पहले रद्द करने से इनकार कर देते हैं, जिससे नागरिकों को लंबी कानूनी लड़ाई में उलझना पड़ता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है।
 - **उदाहरण:** न्यायालय नियमित रूप से यह कहते हैं कि "हस्तक्षेप करना अभी जल्दबाजी होगी" और जांच जारी रखने की अनुमति देते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायिक निवर्तन का प्रभाव -

- **लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:** जब अदालतें अधिकारों की अपेक्षा भावनाओं को प्राथमिकता देती हैं, तो इससे संविधान की उदार लोकतांत्रिक भावना कमजोर होती है।
 - संप्रभुता के प्राथमिक धारक के रूप में नागरिक की भूमिका कमजोर हो गई है, तथा संस्थागत आलोचना को अवैध बना दिया गया है।
- **भय और आत्म-सेंसरशिप की संस्कृति का उदय:** कानूनी अनिश्चितता और मुकदमेबाजी का जोखिम नागरिकों, कलाकारों, हास्य कलाकारों, शिक्षाविदों और पत्रकारों को आत्म-सेंसरशिप की ओर धकेलता है, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर होता है।
 - यहां तक कि वैध लेकिन उत्तेजक या व्यंग्यात्मक भाषण से भी "सुरक्षित" रहने के लिए परहेज किया जाता है।
- **भीड़ का सशक्तीकरण और आक्रोश संस्कृति:** न्यायालयों द्वारा आहत भावनाओं को वैध ठहराने से भीड़ का आक्रोश और सतर्कता को प्रोत्साहन मिलता है।
 - इससे "आक्रामकता का बाजार" तैयार होता है, जहां समूह यह दावा करके मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं कि उन्हें चोट पहुंची है।
- **असहमति और विपक्ष को अवैध ठहराना:** राजनीतिक आलोचना को अब बदनामी या राष्ट्र-विरोधी माना जाने लगा है, खासकर तब जब वह सरकार या सेना के विरुद्ध हो।
 - इससे विपक्षी दलों की कार्यप्रणाली कमजोर होती है, मजबूत नीतिगत बहस हतोत्साहित होती है, तथा राजनीतिक अनुरूपता को बढ़ावा मिलता है।
- **कानूनी मानकों का विरूपण:** मामूली भाषण अपराधों के लिए राजद्रोह जैसे प्रावधानों या कठोर आपराधिक कानूनों का उपयोग आनुपातिकता सिद्धांत को विकृत करता है।
 - वैध असहमति और वास्तविक नुकसान के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है, जिससे राज्य की मनमानी कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है।
- **न्यायिक विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को कमजोर करना:** लोकलुभावन रुख अपनाने और कठिन संवैधानिक प्रश्नों से बचने से, न्यायालयों को स्वतंत्रता के संरक्षक के बजाय राजनीतिक शिष्टाचार के मध्यस्थ के रूप में देखे जाने का खतरा है।
 - इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास कमजोर होता है, क्योंकि यह एक बहुसंख्यक विरोधी संस्था है।

आगे की राह -

- **सिद्धांत-केन्द्रित भाषण न्यायशास्त्र को पुनः स्थापित करना:** न्यायालयों को यह पूछना चाहिए कि क्या अधिकार का उल्लंघन हुआ था, न कि क्या किसी को ठेस पहुंची थी।
- **'चिलिंग इफेक्ट' सिद्धांत को मजबूत करना:** भारतीय न्यायालयों को कानून के दुरुपयोग को सक्रिय रूप से रोकना चाहिए जो वैध असहमति या हास्य को हतोत्साहित करता है।
- **अपराध-आधारित भाषण को अपराधमुक्त करना:** उन कानूनों को पुनः परिभाषित करें या समाप्त करें जो "भावनाओं को ठेस पहुंचाने" जैसी अस्पष्ट अवधारणाओं को अपराध मानते हैं, जब तक कि वे उकसावे से जुड़ी न हों।
- **संस्कृति और नैतिकता की न्यायिक निगरानी से बचना:** न्यायाधीशों को संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, न कि सामाजिक शिष्टाचार या भावनात्मक शुद्धता को लागू करना चाहिए।
- **शिक्षा जगत, कला और मीडिया में अभिव्यक्ति की रक्षा:** बौद्धिक आलोचना और व्यंग्य को लोकलुभावन प्रतिक्रिया और कानूनी उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए।
- **क्षमा याचना को स्वैच्छिक मानें, न्यायिक निर्देश नहीं:** न्यायिक रूप से लगाया गया पश्चाताप असहमति की भावना को कमजोर करता है और आक्रोश की संस्कृति को मजबूत करता है।

स्रोत: [The Hindu: Judicial sensitivity to sentiments is a sign of regression](#)

परिधान क्षेत्र को निर्यात के लिए कैसे तैयार किया जाए

संदर्भ

भारत का परिधान क्षेत्र, जो परंपरागत और रोजगार-प्रधान है, में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। फिर भी, इसका वैश्विक व्यापार हिस्सा स्थिर बना हुआ है, जिसे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए साहसिक सुधारों की आवश्यकता है।

भारत में परिधान क्षेत्र की वर्तमान स्थिति -

- **रोजगार का केंद्र:** 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान देता है।
- **कम वैश्विक हिस्सेदारी:** वैश्विक वस्त्र और परिधान व्यापार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4.2% है, जिसमें परिधान की हिस्सेदारी केवल 3% है (529.3 बिलियन डॉलर में से 15.7 बिलियन डॉलर)।
- **स्थिर वृद्धि:** हाल के वर्षों में परिधान निर्यात में -2% की एएजीआर की गिरावट आई है।
- **खंडित क्षेत्र:** 80% से अधिक परिधान इकाइयां छोटी एमएसएमई हैं, जिनमें पैमाने और एकीकरण का अभाव है।
- **पृथक सफलता:** शाही एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियां दिखाती हैं कि पैमाने, एकीकरण और व्यावसायिकता के साथ क्या संभव है।

परिधान क्षेत्र में प्रमुख चिंताएँ -

- **पैमाने का अभाव:** अत्यधिक विखंडित उद्योग; कुछ बड़े, एकीकृत कर्ता।
- **पूंजी की उच्च लागत:** भारतीय ब्याज दरें (9%) चीन (3%) और वियतनाम (4.5%) जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक बनी हुई हैं।
- **कठोर श्रम कानून:** पुराने कानून, उच्च ओवरटाइम लागत और औपचारिकता संबंधी बाधाएँ नियुक्ति और विस्तार में बाधा डालती हैं।
- **अपर्याप्त कौशल:** महिलाओं की कम भागीदारी और कौशल कार्यक्रमों का वास्तविक समय की मांग से खराब संबंध।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** श्रमिक प्रवास का दबाव और क्षेत्रीय परिधान केन्द्रों का अभाव।
- **अप्रभावी प्रोत्साहन:** निर्यात प्रदर्शन के बजाय उत्पादन (पीएलआई) पर ध्यान केंद्रित करना।

इनका समाधान कैसे किया जा सकता है -

- **पूंजी समर्थन के माध्यम से पैमाने को बढ़ावा देना:** पैमाने से जुड़ी पूंजी सब्सिडी (25-30%) शुरू करना।
 - निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट (5-7 वर्ष) प्रदान करना।
- **श्रम सुधार और स्मार्ट सब्सिडी:** श्रम कानूनों की कठोरता में ढील।
 - परिधान इकाइयों में औपचारिक रोजगार को सब्सिडी देने के लिए मनरेगा के एक हिस्से को जोड़ा जाना चाहिए।
- **लक्षित कौशल और समावेशन:** विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए त्वरित, मांग-आधारित प्रशिक्षण के लिए SAMARTH जैसी योजनाओं का विस्तार करना।
- **परिधान-केंद्रित औद्योगिक केंद्र:** पलायन और लागत को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम मित्र पार्कों को परिधान केंद्रों के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
- **निर्यात-संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) की ओर बदलाव:** निर्यात सफलता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निरंतर रोजगार सृजन को पुरस्कृत करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) से आगे बढ़ना।

स्रोत: [Indian Express: Tailoring A Sector](#)